



चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/“शक्ति दीदी” द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरूक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व “शक्ति दीदी” अभियान के तहत आज दिनांक 04.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रों में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामों में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओं को “मिशन शक्ति” व “शक्ति दीदी” के सार्वजनिक स्थलों जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरूक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यूपी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनांक 04.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों, होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी श्री सत्यपाल सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री निशीकान्त राय तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये कुल 06 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 02 लाख 83 हजार 664 रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

उल्लेखनीय है साइबर अपराध में पीड़ित 06 व्यक्तियों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के नाम पर कुल 02 लाख 83 हजार 664 रुपये की ठगी की गयी थी जिनके द्वारा साइबर सेल चित्रकूट में शिकायत की गयी साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री निशीकान्त राय, हे0ऑपरेटर संदीप, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके कुल 06 पीड़ितों के कुल 02 लाख 83 हजार 664 रुपये बरामद कराया गया।

वर्तमान समय में आम जनमानस द्वारा बैंक आने जानें व बैंकिंग औपचारिकताओं में नष्ट होने वाले समय से बचने के लिये व भारत सरकार के डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के क्रम में आम जनमानस भी जिनके पास एन्ड्राइड मोबाइल उपलब्ध है ऑन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं लेकिन इस कार्य में जरा सी असावधानी होने पर कई लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे है। साइबर अपराध से बचने हेतु सावधानियां 1. किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट विवरण, एटीएम कार्ड नम्बर, पिन नम्बर, सी0वी0वी0 तथा ओटीवी नम्बर, एस0एम0एस0 न बताये। 2. एटीएम कार्ड हमेशा अकेले प्रयोग करे, किसी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। 3. अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को फोन, ई-मेल, एस0एम0एस0 फेसबुक, व्हाट्सएप पर कभी भी न दें। 4. आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, नयी सिम लेने के लिए कई बार फिंगर स्कैन न करें। 5. बोनस प्वाइंट, रिवार्ड प्वाइंट, कैशबैक, के0बी0सी0 आदि लुभावने ऑफर के लालच में अपना बैंक डिटेल फोन पर शेयर न करें। 6. किसी प्रकार का रिमोट एप्स जैसे टीमविवर, ऐनी डेक्स आदि किसी के कहने पर मोबाइल में इनस्टॉल न करें। 7. कम समय में पैसा डबल करने, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा रिटर्न मिलने जैसे लुभावने स्कीम के लालच में न आये। 8. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ब्लॉग, ट्विटर चैट रूम आदि जैसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नम्बर, जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि तथा वर्तमान लोकेशन कभी भी शेयर न करें। 9. पुलिस/साइबर अधिकारी के नाम की काल आने पर आपके बच्चे के द्वारा बलात्कार, किडनैपिंग का केस बता कर या आपके द्वारा पोर्न विडियो देखने का आरोप लगाकर आपसे पैसे की मांग की जाये तो बिलकुल न घबराये, और न ही कोई पैसे भेजें

नोट- किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्प्लेंट रजिस्टर करें या अपने थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती शिया देवी पत्नी ऋषभ सिंह निवासी मऊ ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि पति व ससुरालीजन द्वारा प्रार्थिया के साथ गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना करने के सम्बन्ध में दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गीता देवी, मुख्य महिला आरक्षी

रजनी सिंह, महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में गाली गलौज, मारपीट, लड़ाई झगड़ा कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना न करने, पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गीता देवी
2. मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3. महिला आरक्षी मंजूलता पाल

(5). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी द्वारा आज दिनांक 04.09.2025 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 138/2022 धारा 323,504 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. राजाबाबू पुत्र रमागोपाल 2. संदीप पुत्र राजाबाबू 3. कुलदीप पुत्र राजाबाबू 4. केतकी पत्नी राजाबाबू निवासी गण बरहामाफी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 04 माह का साधारण कारावास व प्रत्येक को 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी कोर्ट श्री राममणि पाठक द्वारा आज दिनांक 04.09.2025 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 58/2016 धारा 354,323,504,506 भादवि0 के अभियुक्त संजय पुत्र गुरुदेव शंखी निवासी भरथौल कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 2500/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.01.2016 को वादिया श्रीमती संभावना पत्नी गजरुक निवासिनी भरथौल कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा कोतवाली कर्वी पर सूचना दी गई कि अभियुक्त संजय उपरोक्त द्वारा उनके साथ छेड़खानी कर, मारपीट, गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इस सूचना पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 58/2016 धारा 354,323,504,506 भादवि0 बनाम संजय उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राजेश कुमार तिवारी द्वारा सम्पादित की गयी थी। आरोपी को दिनांक 29.01.2016 को गिरफ्तार कर दिनांक 20.04.2016 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(7). आज दिनांक 04.09.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में I4C एवं साइबर मुख्यालय उ0प्र0 द्वारा कार्यशाला के माध्यम से साइबर अपराध की रोकथाम

हेतु संचालित विभिन्न पोर्टल,साइबर सम्बन्धी कानून,नियम की जानकारी के सम्बन्ध में जनपद के साइबर थाना/सेल,विवेचकों व समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑनलाइन कार्यशाला में नामित पुलिस कर्मियों को बताया गया कि सभी साइटेन का प्रशिक्षण प्राप्त करें यह सभी के लिए अनिवार्य है और सभी इसे गंभीरता से ले।

कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री निशिकान्त राय,प्रभारी साइबर थाना श्रीमती रीता सिंह,प्रभारी निरीक्षक मारकुण्डी श्री श्यामप्रताप पटेल व अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।